

राजस्थान-सरकार

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा

सीन अधिकारी - कृष्णपाल सिंह चौहान, आर.ए.एस.

दमा संख्या - 164/19 प्रोपत्र

श्री प्रहलादराय गोयल शो. श्री चांदमल गोयल निवासी- अग्रसेन कॉलोनी  
डांगी फैक्ट्री के पीछे आजादनगर भीलवाड़ा तहसील- भीलवाड़ा

-प्रार्थी

बनाम

श्री रतनलाल शो. श्री लाल ब्राह्मण निवासी- छोड़ास तहसील-माण्डल [कॉरा]  
(पुष्कंकित प्रो. पत्र संख्या)

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक - 26.7.19

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर  
निवेदन किया कि ग्राम छोड़ास पटवार हलका छोड़ास तहसील माण्डल में  
उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी नं. 2197/1 कुल  
किता 01 रकबा 02 बीघा 15 बिस्वा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के  
मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है।  
जिसमें प्रार्थी अपने खाते / संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 26.7.19 को पंजीबद्ध किया जाकर  
प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काशत की होने से  
पत्थरगढ़ी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की  
हेरा-फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को  
देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र स्वीकार योग्य है।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम छोड़ास  
छोड़ास पटवार हलका छोड़ास तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते  
की आराजी नं. 2197/1 कुल किता 01 रकबा 02 बीघा 15  
बिस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढ़ी किये  
जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक पीयास को  
300/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर  
जमा कराये। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को  
देखते हुए नुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढ़ी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढ़ी  
नहीं की जावें।

प्रतिलिपि - तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार  
पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल भीलवाड़ा